संख्या-174/2026/656 के-2/22-3-2025-17(1202)/2023

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 25 मई, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राजपाल पुत्र श्री बांके, निवासी जनपद-बदायूँ की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-25779/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-13.06.2025), दिनांक-25.06.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राजपाल पुत्र श्री बांके, जो ग्राम-टुंग सैया, थाना-कादरचौक, जनपद-बदायूँ का निवासी है। प्रथम केस में पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 29.09.2005 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर श्रीराम नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को (1)-एसटी नं0-119/2007 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा० अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-03, बदायूँ के आदेश दिनांक 08.12.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। उक्त के अतिरिक्त द्वितीय केस में पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 28.08.2006 को बन्दी ने अपने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर नाजायज असलहों, हाथगोला व लाईसेन्सी बन्दूक से गोली मारकर चौब सिंह व बब्लू नामक 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बंदी को (2)-एसटी नं0-117/2006 में भा0द0वि0 की धारा-396, 307/149, 412 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, विशेष न्यायाधीश, दस्यु प्रभावित क्षेत्र, बदायूँ के आदेश दिनांक 24.09.2013 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, (3)-एसटी नं0-116/2006 में धारा-25ए. एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय, विशेष न्यायाधीश, दस्यु प्रभावित क्षेत्र, बदायूँ के आदेश दिनांक 24.09.2013 द्वारा 03 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया, (4)-एसटी नं0-101/2006 में धारा-25ए. एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय, विशेष न्यायाधीश, दस्यु प्रभावित क्षेत्र, बदायूँ के आदेश दिनांक 24.09.2013 द्वारा 03 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया तथा (5)-अ0स0-64/2007 में धारा-2/3 यू.पी.जी एक्ट के अन्तर्गत मा० ए.एस.जे-05/जी.एक्ट, बदायूँ द्वारा 07 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार बंदी द्वारा प्रथम केस में दिनांक 14.12.2023 तक अपरिहार 17 वर्ष, 03 माह, 03 दिन तथा सपरिहार 21 वर्ष, 10 माह, 17 दिन तथा द्वितीय केस में दिनांक 15.09.2022 तक अपरिहार 16 वर्ष, 04 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष, 07 माह, 19 दिन की सजा पूरी कर ली गयी है तथा दिनांक 14.12.2023 तक बंदी की आयु 53 वर्ष, 08 माह है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ द्वारा बन्दी द्वारा कारित किया अपराध जघन्य अपराध की श्रेणी में होने, भविष्य में अपराध करने की पूर्ण संभावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने पर अपराध में रोकथाम होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 29.09.2005 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चे से गोली मारकर श्रीराम नामक व्यक्ति की हत्या एवं द्वितीय केस में पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 28.08.2006 को बन्दी ने अपने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर नाजायज असलहों, हाथगोला व लाईसेन्सी बन्दूक से गोली मारकर चौब सिंह व बब्लू नामक 02 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। बन्दी द्वारा 02 वादों में हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक् परीक्षण कर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बन्धित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनायी जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी राजपाल पुत्र श्री बांके को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राजपाल (बंदी संख्या-47500) पुत्र श्री बांके, निवासी जनपद-बदायूँ के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।
(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
3- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-174/2026/656 के-2/22-3-2025-17(1202)/2023

दिनांक 25 मई, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राजपाल पुत्र श्री बांके, जो ग्राम-टुंग सैया, थाना-कादरचौक, जनपद-बदायूँ का निवासी है। प्रथम केस में पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 29.09.2005 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर श्रीराम नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को (1)-एसटी नं0-119/2007 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा० अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-03, बदायूँ के आदेश दिनांक 08.12.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। उक्त के अतिरिक्त द्वितीय केस में पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 28.08.2006 को बन्दी ने अपने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर नाजायज असलहों, हाथगोला व लाईसेन्सी बन्दूक से गोली मारकर चौब सिंह व बब्लू नामक 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बंदी को (2)-एसटी नं0-117/2006 में भा0द0वि0 की धारा-396, 307/149, 412 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, विशेष न्यायाधीश, दस्यु प्रभावित क्षेत्र, बदायूँ के आदेश दिनांक 24.09.2013 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, (3)-एसटी नं0-116/2006 में धारा-25ए. एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय, विशेष न्यायाधीश, दस्यु प्रभावित क्षेत्र, बदायूँ के आदेश दिनांक 24.09.2013 द्वारा 03 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया, (4)-एसटी नं0-101/2006 में धारा-25ए. एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय, विशेष न्यायाधीश, दस्यु प्रभावित क्षेत्र, बदायूँ के आदेश दिनांक 24.09.2013 द्वारा 03 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया तथा (5)-अ0स0-64/2007 में धारा-2/3 यू.पी.जी एक्ट के अन्तर्गत मा० ए.एस.जे-05/जी.एक्ट, बदायूँ द्वारा 07 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार बंदी द्वारा प्रथम केस में दिनांक 14.12.2023 तक अपरिहार 17 वर्ष, 03 माह, 03 दिन तथा सपरिहार 21 वर्ष, 10 माह, 17 दिन तथा द्वितीय केस में दिनांक 15.09.2022 तक अपरिहार 16 वर्ष, 04 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष, 07 माह, 19 दिन की सजा पूरी कर ली गयी है तथा दिनांक 14.12.2023 तक बंदी की आयु 53 वर्ष, 08 माह है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ द्वारा बन्दी द्वारा कारित किया अपराध जघन्य अपराध की श्रेणी में होने, भविष्य में अपराध करने की पूर्ण संभावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने पर अपराध में रोकथाम होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 29.09.2005 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चे से गोली मारकर श्रीराम नामक व्यक्ति की हत्या एवं द्वितीय केस में पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 28.08.2006 को बन्दी ने अपने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर नाजायज असलहों, हाथगोला व लाईसेन्सी बन्दूक से गोली मारकर चौब सिंह व बब्लू नामक 02 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। बन्दी द्वारा 02 वादों में हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक् परीक्षण कर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बन्धित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनायी जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी राजपाल पुत्र श्री बांके को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दिया गया है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in